संख्या-2/3913/सैंतीस-2-2013-1(68)/12टीसी

प्रेषक,

योगेश कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक- नवम्बर, 2013

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में अनुदान सं0-15 के अधीन जनपद आजमगढ़ में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-595/नियोजन/29(9)/2013-14, दि0-11.10.13 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्या-3224/सैंतीस-2-2013-1(68)/12टीसी, दि0-14.10.13 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-"4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-10-जनपद आजमगढ़ में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना-24-वृहत् निर्माण कार्य" में प्राविधानित कुल रू0-190000.00 हजार के सापेक्ष प्रश्नगत महाविद्यालय की स्थापना हेतु भूमि अर्जन/भूमि क्रय किये जाने के लिए रू0-98118.00 हजार (रूपये नौ करोड इक्यासी लाख अठ्ठारह हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं।

2- स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-बी-1-640/दस-2013-231/2013, दि0-28.03.13 एवं कार्यालय ज्ञाप सं0-बी-2-1957/दस-2013-244/2013, दि0-26.09.13 तथा शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दि0-06.06.94 द्वारा निर्गत आदेशों व अन्य सुसंगत वित्तीय नियमों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3- स्वीकृत धनराशि को आहरण हेतु, यदि जनपद स्तर पर आहरण-वितरण अधिकारी हों तो, संबंधित जनपदों को आवंटित किया जाय तथा विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त आहरण न किया जाय। किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि का आहरण कर बैंक/डाकघर में जमा न किया जाय तथा इससे व्यय नई मदों में न किया जाय।

4- निर्गत स्वीकृति के सापेक्ष धनराशि का एकमुश्त आहरण न किया जाय अपितु कोषागार से धनराशि के आहरण की फेजिंग, जो दो माह की आवश्यकता से अधिक न हो, भी कर दी जाय।

5- यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त स्वीकृति ही अकेले ऐसे किसी व्यय को करने का प्राधिकार नहीं देता है जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल/वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों अथवा अन्य स्थायी आदेश के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, ऐसे व्यय करने से पूर्व शासन को पूर्ण औचित्य सहित प्रस्ताव भेजकर स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

6- वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

http://shasanadesh.up.nic.in

7- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-"4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-10-जनपद आजमगढ़ में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

8- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0-ई-2-989/दस-2013, दि0-22 नवम्बर, 2013 में प्राप्त सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(**योगेश कुमार**)
प्रमुख सचिव।

<u>पृ0सं0-2/3913(1)/सैंतीस-2-2013- तद् दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. वित्त नियंत्रक, पशुपालन निदेशालय, बादहशाहबाग, लखनऊ।
4. सहायक निदेशक (नियो0), पशुपालन निदेशालय, बादशाहबाग, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/कोषाधिकारी, लखनऊ।
6. सम्बन्धित जिलाधिकारी/मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/नियोजन अनु0-3 ।
8. गार्ड फाईल।

भवदीय,

(**सुनील कुमार**)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in